20/6/22 पत्रावली पक्ष। प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 के
वकील अनु। — कि मूल वाद अदम पैरवी
अवस्था में खारिज हो चुका है। अतः
आवेदन के आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर
समाप्त की जाती। आवेदन खारिज किया जाता है।
पत्रावली निस्तारण हेतु दाखिल दफ्तर हो।
संलग्न की जाय।

सहायक कलक्टर
(SDO) सोहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:22:44 IST
Reason: SelfAttested